कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 410 /दो—11—7/2022 नर्मदापुरम, दिनांक 16.04.2026

श्री मुकेश यादव, भृत्य नजारत अनुभाग नर्मदापुरम का दिनांक 21.04.2026 से 25.04.2026 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश, मय मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 183 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 1656/दो—11—7/2022 नर्मदापुरम, दिनांक 16.04.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग नर्मदापुरम एवं श्री मुकेश यादव, भृत्य नजारत अनुभाग नर्मदापुरम को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

16.4.26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)